

कार्यालय :: जनपद न्यायाधीश, एटा।
प्रशासनिक आदेश संख्या: 107 / 2020, दि: 02.05.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या पी0एस0 (आर0जी0)/52/ 2020 इलाहाबाद दिनांकित 2 मई 2020 के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपद न्यायालय, व्यावसायिक न्यायालय, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल एवं लेण्ड एक्वीजीशन सम्बन्धी न्यायालय अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे। रिमाण्ड एवं जमानत सम्बन्धी कार्य पूर्व अवकाश के दिनों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार नियत रिमाण्ड मजिस्ट्रेट्स द्वारा अग्रिम आदेशों तक देखा जायेगा।

इस आदेश की प्रति जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष/सचिव कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन, कारागार अधीक्षक व सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर विभाग, जनपद न्यायालय, एटा को अनुपालनार्थ भेजी जावे तथा न्यायालय के गेट नं0 2, 3 व 5 पर चर्खों की जावे। जनहित में प्रकाशनार्थ जिला सूचना अधिकारी को भी एक प्रति प्रेषित की जावे।

तदनुसार सूचित हों।

True Copy
C.A.O. 02/05/2020
Etah Judgeship
ETAH

(रेणु अग्रवाल)
जनपद न्यायाधीश, एटा।
02.05.2020